# नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2014 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधियाचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

**नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014 तक निम्नलिखित परिषद के प्रधान व कार्यकारी अधिकारी रहे हैः–**

**प्रधान :–**

| क्रम संख्या | प्रधान का नाम | तैनाती की अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती गिरिजा गौतम | 1.4.2011 से 31.3.2014 |

**कार्यकारी अधिकारी :–**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती उर्वशी वालिया | 01.04.2011 से 04.06.2011 |
| 2 | श्री हीरा लाल ठाकुर | 14.06.2011 से 26.11.2011 |
| 3 | श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर | 26.11.2011 से 15.02.2013 |
| 4 | श्रीमती उर्वशी वालिया | 16.02.2013 से 31.03.2014 |

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

| क्र0सं0 | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | पैरा संख्या | ₹(लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | गृहकर की बकाया राशि वसूली योग्य शेष | 6 | 1.60 |
| 2 | दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली न करने बारे | 7 | 19.33 |
| 3 | सुकेत दुकानों के शॉपिंग काम्पलैक्स की किराया की वसूली न करना | 7.2 | 77.16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | माँग व संग्रह रजिस्टर में दुकानों के किराये की बकाया राशि को कम दर्शाना | 7.3 | 3.26 |
| 5 | गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के परिणामस्वरूप परिषद को वित्तीय हानि बारे | 8 | 19.86 |
| 6 | पैन्शन की राशि का अधिक भुगतान | 10 | 1.36 |
| 7 | कर्मचारियों द्वारा अंशदायी पैन्शन योजना में अंशदान की राशि की कम वसूली करने बारे | 16 | 4.22 |
| 8 | मेम्बर सैक्टरी साडा नेरचौक से गाड़ी के किराये की वसूली योग्य राशि शेष | 18 | 3.56 |
| 9 | अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों पर अनियमित व्यय | 22.1 | 22.90 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (i) में दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## भाग–दो

**2 वर्तमान अंकेक्षण :–**

नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के लेखाओं अवधि 01.04.2011 से 31.03.2014 तक का अंकेक्षण कार्य श्री तारा चन्द महन्त सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 21.03.2014 से 30.5.2014 तक सुन्दरनगर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए क्रमशः माह 1/2012, 10/2012, 4/2013 तथा माह 2/2012, 1/2013, 9/2013 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में दर्शाया गया है।

लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचनाओं

के लिए लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

## 3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के लेखाओं अवधि 01.04.2011 से 31.03.2014 तक के अंकेक्षण हेतु परीक्षा शुल्क का आंकलन ₹78,000/– (अठहतर हजार रूपये) किया गया है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुन्दरनगर को सहायक नियन्त्रण (लेखा–परीक्षा) की अधियाचना संख्या सं0 नि0 आडिट–(फिन) (एल0ए0डी0) 355 दिनाँक 28.5.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमाला–171009 को भेजने का आगृह किया गया है। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ओ0बी0सी0 सुन्दरनगर शाखा द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 129818 दिनाँक 30.5.2014 के माध्यम से भेज दिया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति :–

नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही है। वित्तीय स्थिति का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ii) में दिया गया है।

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | ब्याज | अनुदान | अपने स्त्रोतों से आय | कुल जमा | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | 26521337.97 | 11366592 | 74318930 | 3558269 | 115765128.97 | 40991260 | 74773868.97 |
| 2012–13 | 74773868.97 | 3262904 | 55134449 | 9313953 | 142485174.97 | 71906877 | 70578297.97 |
| 2013–14 | 70578297.97 | 4105941 | 94839234 | 8805923 | 178329395.97 | 6317116 | 115158279.97 |
| | दिनाँक 31.03.2014 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष राशि (₹) | | | | | | 115158279.97 |
| | दिनाँक 31.3.2014 को बैंकों में जमा राशि व एफ0डी0आर0 राशि अन्तशेष (₹) | | | | | | 119890003.21 |
| | अन्तर राशि (₹) | | | | | | 4731723.24 |
| | अन्तर का समाधान | | | | | | |
| 1 | पिछले लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अन्तर राशि (अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2011) | | | | | | (+) 3451189.82 |
| 2 | दिनाँक 31.03.2014 को रोकड़ बही में भुगतान हेतु जारी किये गये चैक परन्तु | | | | | | (+) 270367.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | बैंक से नहीं घटाये गए | |
| 3 | दिनाँक 31.3.2014 को रोकड़ बही में आय के चैक जमा दर्शाए गए परन्तु बैंक में राशि दिनाँक 1.4.2014 को जमा हुई | (–)47234.00 |
| 4 | नगर परिषद के विभिन्न बैंकों द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज परन्तु परिषद रोकड़ बही में ब्याज की राशि की प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई | (+) 641777.00 |
| | **कुल जोड़** | **₹119474379.79** |
| | बैंक में जमा | ₹119890003.21 |
| | अन्तर | ₹415623.42 |

अतः रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनाँक 31.03.2014 को पाए गए अन्तर की ₹415623.42 का मिलान परिषद अपने स्तर पर करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि संस्था द्वारा रोकड़ बही का माहवार समाधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4.3 के अनुसार दिनाँक 31.3.2011 को लेखों में ₹3451189.82 अन्तर के समाधान करने बारे आपत्ति उठाई गई थी लेकिन अभी तक परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट किये जाए तथा अन्तर की राशि का शीध्र समाधान किया जाए।

**4.1** दिनाँक 31.3.2014 को नगर परिषद के विभिन्न खातों व सावधि जमा एफ0डी0आर0 का अन्तशेष राशि विवरण निम्न प्रकार से है:–

| क्र0 सं0 | बैंक का नाम | खाता सं0 | 31.3.2014 को अन्तशेष राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | सैन्ट्रल बैंक का इण्डियाँ | 7779 | 49033.00 |
| 2 | पंजाब नैशनल बैंक | 9763 | 522101.15 |
| 3 | पंजाब नैशनल बैंक | 34271 | 103425.00 |
| 4 | आई0डी0बी0आई0 बैंक | 1700 | 681476.00 |
| 5 | आई0डी0बी0आई0 बैंक | 1694 | 7413300.00 |
| 6 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 00063 | 399113.00 |
| 7 | यूनियन बैंक | 00637 | 10992088.00 |
| 8 | हि0प्र0को0ओ0 बैंक | 5274 | 12375937.00 |
| 9 | ओरिन्टल बैंक ऑफ कामर्स | 2208 | 4005248.00 |
| 10 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 5939 | 33353576.95 |
| 11 | –यथोपरि– | 6314 | 61315.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | –यथोपरि– | 5576 | 1979421.00 |
| 13 | इलाहाबाद बैंक | 1023 | 16834084.00 |
| 14 | एच0डी0एफ0सी0 बैंक | 37445600 | 4394601.00 |
| 15 | आई0डी0बी0आई0 बैंक | 19804 | 10003288.00 |
| 16 | केनरा बैंक | 00407 | 5000000.00 |
| 17 | हि0प्र0को0ओ0 बैंक | 102920 | 10000000.00 |
| 18 | एफ0डी0आर0 सावधि जमा | – | 1721996.00 |
| | **कुल जोड़** | | **₹119890003.21** |

**4.2 दिनांक 31.03.14 को नगर परिषद द्वारा भुगतान हेतु चैक जारी किये गये है जो संस्था द्वारा रोकड़ बही से घटा दिये गये है परन्तु बैंक पास बुक में माह मार्च 2014 के पश्चात घटाये गये है।**

| क्र0सं0 | दिनाँक | चैक नं0 | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.7.2013 | 412455 | 3048 |
| 2 | 21.8.2013 | 412485 | 7200 |
| 3 | 21.8.2013 | 412484 | 2023 |
| 4 | 31.8.2013 | 284035 | 1275 |
| 5 | 19.11.2013 | 412871 | 1889 |
| 6 | 5.02.2014 | 413144 | 1953 |
| 7 | 18.2.2014 | 413158 | 2229 |
| 8 | 24.2.2014 | 616463 | 30000 |
| 9 | 24.2.2014 | 413165 | 2614 |
| 10 | 20.3.2014 | 413186 | 2786 |
| 11 | 31.3.2014 | 616481 | 215350 |
| | | **कुल योग राशि** | **₹270367** |

**4.3** नगर परिषद सुन्दरनगर के विभिन्न खातों व सावधि जमा खाते पर बैंक द्वारा दिये ब्याज राशि जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई का विवरण निम्न प्रकार से है जिसे अब रोकड़ बही में लेखाबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | दिनाँक | बैंक का नाम | खाता सं0 | ब्याज |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7.2011 | ओ0बी0सी0 बैंक | 2228 | 20089 |
| 2 | 30.9.2011 | आई0डी0बी0आई0 | 1700 | 20203 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.3.2012 | आई0डी0बी0आई0 | 1700 | 24471 |
| 4 | 13.9.2011 | आई0डी0बी0आई0 | 1694 | 1736 |
| 5 | 31.3.2012 | आई0डी0बी0आई0 | 1694 | 1218 |
| 6 | 31.3.2012 | हि0प्र0 स्टेट कॉपरेटिव बैंक | 5274 | 165285 |
| 7 | 3.9.2011 | पंजाब नैशनल बैंक | 34271 | 227761 |
| 8 | 3.9.2011 | पंजाब नैशनल बैंक | 69763 | 31571 |
| 9 | 4.2.2012 | यूनियन बैंक | 0637 | 24386 |
| 10 | 3.8.2011 | भारतीय स्टेट बैंक (सावधि बैंक जमा) | एफ0डी0आर0 नं0 935201 | 125057 |
| | | | **कुल ब्याज** | **₹641777** |

**4.4 सावधि जमाः—**

नगर परिषद सुन्दरनगर के खाते में दिनाँक 31.3.2014 तक निम्न विवरणानुसार ₹1721996 / — सावधि जमा में निवेशित हैः—

| **क्र0 सं0** | **बैंक का नाम** | **सावधि जमा सं0** | **दिनाँक** | **राशि** | **अवधि** | **ब्याज दर** | **परिपक्ता की तिथि** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सुन्दरनगर | 684676 | 23.11.2013 | 559781 | 555 दिन | 9% | 1.6.2015 |
| 2 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सुन्दरनगर | 941881 | 23.11.2013 | 655835 | 555 दिन | 9% | 1.6.2015 |
| 3 | भारतीय स्टेट बैंक सुन्दरनगर | 30217566068 | 3.8.2011 | 438386 | 4 वर्ष | 9.25% | 3.8.2015 |
| 4 | सैन्ट्रल बैंक सुन्दरनगर | 068364 | 1.5.2013 | 67994 | 3 वर्ष | 8.50% | 1.5.2016 |
| | | **कुल निवेशित राशि** | | **₹1721996** | | | |

## 4.5 अनुदान वित्तीय स्थितिः—

नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी के अंकेक्षण अवधि 4 / 2011 से 3 / 2014 तक विभिन्न संस्थाओं से परिषद को प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (iii) में भी दिया गया है।

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक शेष** | **वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि** | **कुल जमा राशि (₹)** | **व्यय** | **अन्तशेष राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011—12 | 22471415 | 74318930 | 96790345 | 77477230 | 19313115 |
| 2012—13 | 19313115 | 55134449 | 74447564 | 58713083 | 15734481 |
| 2013—14 | 15734481 | 94839234 | 110573715 | 32388180 | 78185535 |

**दिनाँक 1.4.2014 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि ₹78185535/—**

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त में से ₹78185535/— अनुपयोग है जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयुक्त इन राशियों को समयवध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग इन राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्ही उद्देश्यों जिन हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए यह प्राप्त की गई है अन्यथा राशि का प्रर्त्यपन सम्बन्धित विभाग को किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा में अवगत करवाया जाए।

## 4.6 सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा ₹52509/— का कम ब्याज देने बारेः—

नगर परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा/निवेशित राशियों पर उनकी परिपक्वता की तिथि पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर पर मिलने वाले ब्याज की राशि व मूल राशि सहित उन जमा राशियों पर निम्नविवरणानुसार उनके नवीनीकरण पर ₹52509 कम ब्याज दिया गया है।

| **एफ0डी0 आर0 सं0** | **मूल राशि** | **परिपक्वता तिथि** | **परिपक्वता राशि** | **नवीनीकरण की राशि** | **नवीनीकरण की तिथि** | **बैंक द्वारा नवीनीकरण** | **बैंक का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | के समय दी गई कम जमा राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684676 | 497519 | 23.11.13 | 575783 | 559781 | 23.11.13 | 16002 | एस0बी0आई0 |
| 941881 | 582889 | 23.11.13 | 674583 | 655835 | 23.11.13 | 18748 | एस0बी0आई0 |
| 935201 | 313329 | 3.8.11 | 456145 | 438386 | 3.8.11 | 17759 | एस0बी0आई0 |
| | | | | **Gross Total** | | **₹52509** | |

अतः बैंक द्वारा जमा राशियों पर उनकी परिपक्वता तथा नवीनीकरण के समय निर्धारित ब्याज से ₹52509/–कम अदायगी की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व यह प्रकरण बैंक के साथ उठाया जाए व उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

## 5 ₹156/– आय को रोकड़ बही में लेखाबद्ध न करनाः–

अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014 तक चयनित माह 1/2012 की आय की रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में ₹156/– कम दर्ज किया गया परिणामस्वरूप ₹156/– जमा नहीं किये गये। अतः कम दर्ज की गई राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | दिनाँक | रसीद सं0 | राशि | रोकड़ बही में दर्ज राशि | रोकड़ बही मे कम दर्ज राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.2012 | 7306 से 7318 से 7318/74 | 125 | 115 | 10 |
| 2 | 17.1.2012 | 6522 से 6525/66 | 64 | 48 | 16 |
| 3 | 7.1.2012 | 6860/69 | 984 | 954 | 30 |
| 4 | 23.1.2012 | 7683/77 | 364 | 264 | 100 |

कुल राशि ₹156

## 5.1 तहबाजारी से प्राप्त आय को रोकड़ बही में कम लेखाबद्ध करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014 तक के अंकेक्षण के दौरान तहबाजारी की रसीदों व अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि तहबाजारी की कुछ रसीदों की गलत गणना के कारण रोकड़ बही में कम राशि लेखाबद्ध की गई जिससे परिषद को ₹455/– आर्थिक हानि हुई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XV** पर संलग्न है। अतः कम दर्ज की गई तहबाजारी की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 6 गृहकर ₹1.60 करोड़ की वसूली न करने बारेः–

नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा जारी विवरणानुसार 31.3.2014 तक गृहकरदाताओं से गृहकर की ₹16099944/– की वसूली शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट (iv)** में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा नियमित वसूली न होने से नगर परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। अतः गृह कर की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धार 87 व 89 दिये गए प्रावधानों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये वर्णित राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

## 7 दुकानों के किराये की बकाया ₹1933571/– की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹1933571/– दिनाँक 31.3.2014 को वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (V)** में दिया गया है। अतः नगर परिषद विभिन्न दुकानदारों से दुकानों के बकाया राशि की वसूली हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

## 7.1 दुकानों के किराये को कम करने व बकाया राशि को माफ करने के फलस्वरूप ₹1.42 लाख की परिषद को वित्तीय हानि बारेः—

दुकानों के किराये से सम्बन्धित किराया (रैन्ट) माँग व संग्रह अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कुछ मामलों में परिषद द्वारा दुकानों के मासिक किराये को कम कर दिया गया तथा किराये की बकाया राशि भी सम्बन्धित दुकानदारों से वसूल नहीं की गई जिससे परिषद को ₹142500/— की वित्तीय हानि हुई।

अंकेक्षण में चर्चा के दौरान बताया गया कि इन सभी दुकानदारों के मासिक किराये को परिषद स्तर पर ही कम कर दिया गया तथा किराये की बकाया राशि को भी नगर परिषद ने माफ कर दिया है। अतः दुकानों के मासिक किराये को कम करने व किराये की बकाया राशि को माफ करने बारे कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया इस बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए। यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

| क्र0सं0 | दुकान सं0 | नाम दुकानदार | वर्ष 2010—11 में निर्धारित किराया राशि (प्रतिमाह) | वर्ष 2011—12 में निर्धारित किराया राशि (प्रतिमाह) | अवधि 4/11 से 3/14 तक कम प्राप्त किराया राशि | अवधि 3/11 तक किराया को बकाया राशि जो परिषद द्वारा माफ वसूल नहीं किया गया व बाद में अनियमित रूप से माफ किया | कुल किराया व बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | प्रदीप कुमार सुपुत्र सोजू राम अस्पाल चौक सुन्दरनगर | 800 | 400 | 400X36<br>14400 | 19600 | 34000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | परमानन्द सुपुत्र सोजू राम अस्पताल चौंक सुन्दरनगर | 800 | 400 | 400X36=14400 | 19600 | 34000 |
| 3 | 50 | रमेश कुमार सुपुत्र बलि राम अस्पताल चौंक सुन्दरनगर | 800 | 400 | 400X36=14400 | 19600 | 34000 |
| 4 | 51 | संत राम सुपुत्र तरहाड़ू राम सुन्दरनगर | 800 | 400 | 400X36=14400 | 26100 | 40500 |
| | | | | | **कुल राशि** | | **₹142500** |

**7.2 सुकेत शॉपिंग काम्पलैक्स दुकानों के किराया ₹77.16 लाख की वसूली न करनाः—**

नगर परिषद के दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि सुकेत शाँपिंग काम्पलैक्स की दुकानों का दुकानदारों को आंबटित करने के उपरान्त परिषद द्वारा दुकानों के किराये की वसूली नहीं की जा रही है जिससे परिषद को ₹7716850/— की हानि हुई इस राशि का विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (vi)** में दिया गया है।

अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि सुकेत शॉपिंग कम्पलैक्स में लगभग 70 दुकानों का निर्माण परिषद द्वारा किया गया तथा दुकानों का आंबटन दिनाँक 17.8.2012 को शुरू किया गया। परिषद द्वारा दुकानदारों से प्रतिभूति राशि भी ले ली गई परन्तु परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 3/2014 तक दुकानों के किराये की वसूली नहीं की गई। अतः परिषद द्वारा दुकानों की बकाया राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा अब इस बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्रभावशाली पग उठाये जाए जिससे परिषद की आय में वृद्धि हो। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7.3 किराया (रैन्ट) माँग व संग्रह रजिस्टर में बकाया ₹3.26 लाख को कम दर्शाने बारेः—**

रैन्ट माँग व संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि कई मामलों में दुकानों के किराये की बकाया राशि को वर्ष के अन्त व अगले वर्ष के प्रारम्भिक शेष में या तो कम दर्शाया गया है या फिर दर्शाया ही नहीं गया है। ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (vii)** में दिया गया है। इन सभी मामलों की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त रैन्ट माँग व संग्रह रजिस्टर में दुकानों के किराये राशि का सही आंकडे दर्ज किया जाये तथा किराये की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8 गृहकर की दरो में बढ़ौतरी न करने के कारण परिषद को ₹1986473/– की वित्तीय हानिः–

अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014 के दौरान गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में गृहकर वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक 10**%** की दर से वसूल किया जा रहा था जबकि सरकार के पत्र संख्या यू0डी0एच0सी0 (10)–2/2002 दिनाँक 24.9.2003 द्वारा व शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्या य0डी0एच0सी0 (10)–7/98–II दिनाँक 12.11.2003 द्वारा 12.5**%** की दर से गृहकर लिखा जाना निर्धारित किया गया था लेकिन नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा 10% की दर से गृहकर लिया गया था जिसके कारण नगर परिषद सुन्दरनगर को गृहकर की आय में ₹ 1986473/– की क्षति हुई है। इस राशि का विवरण संलग्न **परिशिष्ट (viii)** में दिया गया है। अतः परिषद सरकार द्वारा निर्धारित गृहकर दर से गृहकर का अधिरोपण न करने के कारणों को स्पष्ट करते सरकारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रकरण नगर परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

## 9 श्रीमती मीरा देवी, लिपिक को वेतन के रूप में ₹53523/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान श्रीमती मीरा देवी लिपिक की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि इन्हें नियमानुसार आठ वर्षों का सेवा कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात दिनाँक 01.01.2006 को सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (Assured Carrer progression scheme) में एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है तथा कर्मचारी का वेतन अवधि 01.01.06 से संशोधित वेतनमानों में प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के

कार्यालय पत्र संख्या फिन– (पी0आर0) बी (7) 59/2010 दिनाँक 9.8.2012 में विनिर्दिष्टत नियम 3 (A) जिसके तहत 4–9–14 साल के सेवा के पश्चात ए0सी0पी0–एस0 के तहत लाभ को किया गया है जिसके के अन्तर्गम उक्त कर्मचारी को दिनाँक 1.1.2006 से ₹1950/– ग्रेड पे दी जानी अपेक्षित थी परन्तु इन्हें ₹2400/– प्रतिमाह ग्रेड पे अनियमित रूप से प्रदान की गई।

| **दिनाँक** | **देय वेतन** | **आहरित वेतन** | **अधिक वेतन निर्धारण** |
|---|---|---|---|
| 1.1.06 | 7480+290+1900=9670 | 7480+290+1900=9670 | – |
| 1.1.06 (ACP) | 7770+290+1950=10010 | 7770+290+2400=10460 | 450 |
| 1.1.07 | 8060+300+1950=10310 | 8060+320+2400=10780 | 470 |
| 1.1.08 | 8360+310+1950=10620 | 8380+330+2400=11110 | 490 |
| 1.1.09 | 8670+320+1950=10940 | 8710+340+2400=11450 | 510 |
| 1.1.10 | 8990+330+1950=11270 | 1050+350+2400=11800 | 530 |
| 1.1.11 | 9320+340+1950=11610 | 9400+360+2400=12160 | 550 |
| 1.1.12 | 9660+350+1950=11960 | 9760+370+2400=12530 | 570 |

उपरोक्त ग्रेड पे के गलत भुगतान का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या स0नि0 आडिट (कैम्प)–351 दिनाँक 17.5.2014 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुन्दरनगर के ध्यानार्थ भी लाया गया परन्तु नगर परिषद कार्यालय द्वारा उक्त अधियाचना का कोई भी स्पष्टीकरण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमिता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए उपरोक्त गलत ग्रेड पे प्रदान करने के कारण कर्मचारी की कुल ₹53523/– का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट (ix)** में दिया गया है जिसका अपने स्त्तर पर पुनः जाँच करने के उपरान्त अधिक भुगतान की राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 10 पैन्शन की राशि ₹1.36 लाख का अधिक भुगतानः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11 के पैरा 11.1 में सन्दर्भित श्री सुरेश पाल, सफाई कर्मचारी दिनाँक 31.8.2009 को सेवा निवृत हुऐ व 1.1.2009 को निर्धारित ₹14970/– (₹13570+₹1400 G.P.) वेतन के हिसाब से इन्हें ₹14970÷2=₹7485 मासिक पैन्शन निर्धारित होनी अपेक्षित थी। पैरे में दर्शित ₹52965/– अधिक भुगतान की वसूली माह

2/14 तक ₹9000/– ₹1000 प्रतिमाह की दर से की जा चुकी है लेकिन माह 6/11 तक दर्शित कुल ₹52965/– के अधिक भुगतान के बाद भी माह 7/11 से 2/14 तक सम्बन्धित पैन्शनर को पैन्शन का भुगतान गत पैरे में दर्शित ₹9207/– मूल पैन्शन पर बिल बनाकर अनियमित रूप से किया गया जबकि यह मूल पैन्शन ₹7485/– के आधार पर देय थी। इस प्रकार इन्हें ₹9207 (–)₹7485=₹1712 प्रतिमाह मूल पैन्शन व मंहगाई रिलीफ का माह 7/11 से 2/14 तक भी अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

| **माह** | **अधिक मूल पैन्शन** | **मंहगाई रिलीफ** | **कुल (₹)** | **कुल माह** | **अधिक भुगतान** |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 से 12/11 | 1712 | 993 | 2705 | 6 | 16230 |
| 1/12 से 6/12 | 1712 | 1113 | 2825 | 6 | 16950 |
| 7/12 से 12/12 | 1712 | 1233 | 2945 | 6 | 17670 |
| 1/13 से 6/13 | 1712 | 1370 | 3080 | 6 | 18480 |
| 7/13 से 12/13 | 1712 | 1541 | 3253 | 6 | 19518 |
| 1/14 से 2/14 | 1712 | 1541 | 3253 | 2 | 6506 |
| | | | | **कुल** | **92354** |
| | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 11.1 में सन्दर्भित अधिक | | | | 52965 |
| | कुल अधिक भुगतान | | | | 145319 |
| | माह 2/14 तक वसूली | | | | 9000 |
| | शेष अधिक भुगतान | | | | 136319 |

अतः सेवानिवृत कर्मचारी को ₹136319/– का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि को अविलम्ब वसूल कर नगर परिषद के खाते में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में पैन्शन का भुगतान नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**11 सेवानिवृति के बाद सरकारी आवासों को खाली न करनाः–**

अंकेक्षण अधियाचना दिनाँक 1.4.2014 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निम्न सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवानिवृति के बाद से आज तक सरकारी आवासों को खाली न कर अवैध कब्जा कर रखा है व किराये की भी नियमानुसार कोई वसूली नहीं की जा रही है यह गम्भीर अनियमितता है जबकि सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जी0ए0डी0—जी 7 (जी)—1/12/08—1 दिनाँक 11.3.2010 जारी अधिसूचना के नियम संख्या 18 (अ) के अनुसार सरकारी आवास आंबटन नियमों के अन्तर्गत इन कर्मचारियों से किराये की वसूली अपने स्त्तर पर गणना करने के उपरान्त वसूली/कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

| **क्र0सं0** | **सेवानिवृत कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती)** | **सेवानिवृति की दिनाँक** | **जितने वर्षों से अवैध कब्जा किया है** | **अन्य विवरण** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुखवीर सफाई कर्मचारी | 31.3.2000 | 14 वर्ष | केवल न्यायालय में विचाराधीन |
| 2 | कैला देवी, सफाई कर्मचारी | 31.12.2012 | 1½ वर्ष | केवल नोटिस दिये गये है |
| 3 | रोशन, सफाई कर्मचारी | 30.6.2013 | 1 वर्ष से कम | केवल नोटिस दिये गये है |
| 4 | सोहनवीर सफाई कर्मचारी | 30.6.2013 | 1 वर्ष से कम | केवल नोटिस दिये गये है |

परिषद द्वारा इन सरकारी आवासों को खाली करने व किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे है। अतः यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

## 12 श्रीमती उर्वशी वालिया कार्यकारी अधिकारी को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ₹844/— का अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्रीमती उर्वशी वालिया कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुन्दरनगर को अतिरिक्त मुख्य सचिव यू0डी0 के कार्यालय आदेश संख्या यू0डी0—बी (7)—1/2009 दिनाँक 2.3.2010 द्वारा दिनांक 31.5.2007 से ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया था उक्त कर्मचारी को ए0सी0पी0 का लाभ 31.5.2007 से दिया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार दिनाँक 1.5.2007 से 30.5.2007 तक ₹844/— का अनियमित

रूप से अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके नगर परिषद खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

| देय राशि | आहरित राशि | 30 दिनों की आहरित अधिक राशि |
|---|---|---|
| BP+GP+DA | 15990+4600+1853=22443 | 844 |
| 15390+4400+1781=21571 | (22443–21571=872x30/31) | |

## 13 ₹5000/– का अनियमित/अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 41 माह 9/13 की जाँच के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निविदाओं के आधार पर स्ट्रीट लाईट हेतु 85 वाट सीएफएल विद एक्टीलीक कवर व रीफलेवटर तथा 1000 एमएम लम्बी व 25 एमएम मोटी जी आई वरेक्ट सहित" अपने आपूर्ति आदेश पत्र संख्या एम0सी0–सुन्दरनगर/2013–1166 दिनाँक 28.03.2013 के अन्तर्गत मैसर्ज जीतेन शर्मा एन0एच0–21 से 100 नं0 (85 वाट सी0एफ0एल0 वरेक्ट सहित ₹2000 प्रति लाईट की खरीद पर चैक संख्या 412820 दिनाँक 19.9.2013 द्वारा ₹200000 (2 लाख) की खरीद की गई जबकि उक्त मद की दर मै0 दीप ड्रेडिंग कम्पनी भोजपुर सुन्दरनगर की न्यूनतम ₹1950 प्रति स्ट्रीट लाईट की दर अंकित है। नगर परिषद द्वारा न्यूनतम दर पर 1950 प्रति लाईट खरीद न करके ₹2000.00 प्रति लाईट खरीद की गई है तथा इस प्रकार 100 लाईटों की खरीद पर ₹5000/– (100X50) अधिक भुगतान किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन को प्रेषित करने से पहले प्रभारी नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा टेलीफोन पर बताया गया कि उपरोक्त ₹5000/– अधिक भुगतान की राशि फर्म से वसूली करके रसीद संख्या 15526/156 दिनाँक 05.07.2014 के अन्तर्गत नगर परिषद निधि में जमा की गई है। उपरोक्त रसीद के जमा की पुष्टि अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्ति करें।

## 14 अनुदान राशि ₹25 लाख का अनियमित व्यय

वाउचर संख्या 58 माह 7/2013 द्वारा ₹25 लाख 3rd S.F.C. अनुदान राशि में से पैन्शन निधि में हस्तांतरण की गई व अनुदान की राशि से सेवानिवृत कर्मचारियों की पैन्शन का भुगतान अनियमित रूप से किया गया। जबकि अनुदान की राशि को परिषद के विकासमत कार्य हेतु प्राप्त की गई थी। अतः अनुदान राशि को उसी उद्देश्य हेतु समयवध व्यय किया जाना अपेक्षित था जिस हेतु इसे सरकार से प्राप्त किया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर व्यय को नियमित करवाया जाए।

**15 समन्वित मलिन बस्ती आवास विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत लाभार्थियों को पहली किश्त ₹101432/– जारी करने के पश्चात भी मकान का कार्य शुरू न करने बारेः–**

नगर परिषद सुन्दरनगर को समन्वित मलिन बस्ती आवास विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत चैक संख्या 018484 माह 2/2012 में ₹33161000/– केन्द्रीय सहायता के रूप में व चैक संख्या 019694 दिनाँक 9.05.2012 द्वारा राज्य सहायता के रूप में ₹14319000/– अर्थात कुल ₹47480000 (33161000+14319000) प्राप्त की गई है।

उपरोक्त राशि में से शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा मलिन बस्ती में पक्के मकान बनाने हेतु ₹25111840/– (दो करोड़ इकावन लाख ग्यारह हजार आठ सौ चालीस) स्वीकृती दी गई थी मलिन बस्ती में पक्के मकान बनाने के लिए सुन्दरनगर में विभिन्न बोर्डों में 208 लाभार्भियों को इस हेतु चुना गया व प्रत्येक लाभार्थी को ₹120730/– की स्वीकृति प्रदान की गई जोकि चार किश्तों में मकान के निर्माण कार्य की प्रगति अनुसार भुगतान की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान जाँच में यह पाया गया कि कुल 208 लाभार्थियों में से 28 लाभार्थियों द्वारा जिनका विवरण परिशिष्ट (X) में दिया गया है मकान के निर्माण हेतु पहली किश्त ₹36219 प्रति लाभार्थी कुल ₹36219X28=₹101432 भुगतान करने के लम्बे समय पश्चात तक भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था और न ही नगर परिषद द्वारा उनको दूसरी किश्त का भुगतान ही किया गया था। अंकेक्षण दौरान सहायक नियन्त्रक ले0प0 द्वारा उपरोक्त मामला कैम्प अधियाचना संख्या नि0 आडिट–352 दिनाँक 19.5.2014 द्वारा नगर परिषद से उठाया गया था कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा चर्चा के दौरान यह बताया गया कि चूककर्ता/लाभार्थियो ंसदस्य के विरूद्ध सरकारी निर्देशों के अनुरूप ठोस कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि चूककर्ता के विरूद्ध सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाते हुये निर्माण कार्य को पूर्ण करवाये ताकि सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का सदुपयोग हो सके यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

**16 हिमाचल प्रदेश अंशदायी पैन्शन योजना नियम 2006 के अन्तर्गत नगर परिषद सुन्दरनगर के कर्मचारियों से ₹422627 अंशदान की कम वसूलीः–**

विशेष सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (पैन्शन) ए (3)–5/2006 दिनाँक 11.06.2010 में विनिर्दिष्टत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अंशदायी पैन्शन सिस्टम में (Contribution pernsion scheme) में दिनाँक 15.5.2003 के पश्चात नियुक्ति

सरकारी कर्मचारी के वेतन जिसमें मूल वेतन +मंहगाई भत्ता का 10 प्रतिशत व उतनी ही राशि नियोक्ता (Employer) की उक्त निधि में जमा की जानी अपेक्षित थीं। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा अपनी निधि से दिनाँक 15.5.2003 के पश्चात नियुक्ति कर्मचारियों के Basic Pay +DA का दस प्रतिशत उक्त निधि में प्रतिमाह जमा किया जा रहा है परन्तु कर्मचारी जिनका विवरण **परिशिष्ट (xi)** में दिया गया है इन कर्मचारियों के Basic Pay का दस प्रतिशत भाग ही प्रतिमाह कटवाकर (डी0ए0) कम्पोनेन्ट को शामिल न करके की कम कटौती की जा रही है यह अनियमित है।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट फिन 356 कैम्प दिनाँक 26.5.2014 द्वारा नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया है। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया जा सका। अतः कम अंशदान ₹422627/– वसूल न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह पकरण नगर परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

**17 विभिन्न निर्माण कार्यों में काटे गये लेबर सैस ₹458864/– जमा न करने बारेः–**

अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों से बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वकर्स वेलफेयर सेस ऐक्ट 1996 (Building and other construction workers welfare cess act 1996) के अनरूप लेबर सैस के रूप में ₹458864/– कटौती की गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट (xii)** में दिया गया है परन्तु उक्त पैसे को एक प्रतिशत की दर से काटकर सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया है सेस नियमानुसार अब सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए यह अनियमितता परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

**18 मेम्बर सेक्रेटरी साडा (Spedial Area Development Authority) से गाड़ी के किराया के ₹356400/– वसूली योग्य राशि शेषः–**

नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा अपने पत्र संख्या ई0ओ0एम0सी–2013/2211 दिनाँक 23.1.2013 के अन्तर्गत अपनी गाड़ी/केन्टर पर नेरचौक से अपने डम्पिंग स्थल सुन्दरनगर तक हर तीसरे दिन तीन गारवेज कन्टेनरों का कूड़ा करकट लाने हेतु महीने के कुल 15 दिनों का ₹32400/– प्रतिमाह की दर से गाड़ी के किराया मेम्बर सेकेटरी साडा से वसूल किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के दौरान पाया गया कि माह

5/13 से 3/14 तक कुल ₹356400/– की राशि (32400X11) वसूली योग्य शेष है। जिसकी शीध्र वसूली करके नगर परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

## 19 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों ₹2360/– का अधिक भुगतानः–

प्रधान सचिव स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय अधिसूचना संख्या एच0एफ0डब्लयू–बी (एफ) 1–1/2008 दिनाँक 21.6.08 में सलग्न परिशिष्ट "ए" के पैरा संख्या 9.4 में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निजी (Private) इम्पैनलड (empanelled) अस्पताल में लेब टैस्ट के सम्बन्ध में किये गये भुगतान की देर सरकारी अस्पाल में प्रचलित दरों के बराबर कर्मचारी को प्रतिपूर्ति की जायेगी। माह 9/13 में निम्नानुसार निजी क्लीनकों में चिकित्सा टेस्ट करवाने के पश्चात चिकित्सा प्रतिपूर्ति सरकारी दरों के बराबर न करके अधिक भुगतान किया गया है जिसका निर्देशों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की वसूली की जाना सुनिश्चित करें।

| क्र0सं0 | कर्मचारी का नाम व पदनाम | चिकित्सक टेस्ट का निवारण | सरकारी देर | भुगतान की राशि | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुन्दर सिंह मेट (mate) | अलट्रासाउंड | 120 | 600 | 480 |
| 2 | देवराज बेलदार | अलट्रासाउंड | 120 | 600 | 480 |
| 3 | फते सिंह सफाई कर्मचारी | एन्डोस्कोपी | 150 | 1550 | 1400 |
| | | | | कुल राशि | **2360** |

## 20 भवन निर्माण शुल्क ₹24571/– की वसूली न करने बारेः–

नगर परिषद सुन्दरनगर के अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2014 के भवन निर्माण शुल्क के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (xiii)** में दर्शाये गये मकान मालिकों से भवन निर्माण शुल्क ₹24571/– की वसूली शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0एस0एच0–डी–(1)–9/94 खण्ड–IV दिनाँक 13.12.2000 में जारी किये गये निर्देशों अनुसार की जानी अपेक्षित थी जबकि नगर परिषद द्वारा इन भवनों के निर्माण हेतु नक्शें स्वीकृत किये गये थे। अतः भवन निर्माण शुल्क की वसूली न करने का

औचित्य स्पष्ट करें। अतः निर्धारित राशि अब वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**21 वाउचर संख्या 47 माह 12/13 ₹148490/-**

उपरोक्त वाउचर द्वारा मै0 यशपाल स्टील फर्नीचर से वर्क आर्डर के आधार पर निम्न कार्य कराया गया।

| | |
|---|---|
| 20 Nos repairs of garbage container @ 3000 reparing/welding painting | ₹60000 |
| 80 Nos P/F tyre & garbage container @ 1210 | ₹96800 |
| **योग (व कर कटौती)** | **₹156800** |

उपरोक्त भुगतान में निम्न अनियमितताऐं भी पाई गई जिनके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सका।

1 मुरम्मत का किसी तकनीकी कर्मचारी व अधिकारी से प्राकलन तैयार नहीं कराया गया।

2 सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। भुगतान दरों का औचित्य (Justification of rates) भी तैयार नहीं किया गया।

3 बिल व वाउचर सम्बन्धित कनिष्ट अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से सत्यापित नहीं कराये गये।

4 निविदायें मंगवाने हेतु नियमानुसार पारदर्शिता नहीं अपनाई गई।

इस प्रकार औपचारिकता पूर्ण किये बिना भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

**21.1 वाउचर संख्या 63 माह 6/13 ₹39813/-**

**वाउचर संख्या 27 माह 12/13 ₹61258/-**

उपरोक्त वाउचरों द्वारा ठेकेदारों से नगर परिषद में विभिन्न जगह, रोड़ सफाई वार्ड सफाई, रास्ता नाली सफाई व डंपिंग साईट पर कूड़ा ढुलाई कार्य जे0सी0बी0 मशीन द्वारा कराया दर्शाया गया जिसका विवरण इस प्रकार है।

**(क) मै0 नरेश कुमार, संविदाकार**

| दिनांक | कार्य घण्टे व दर | कुल राशि (₹) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 19.3.13 से 21.3.13 | 19 घण्टे @₹815 | 15485 |
| 1.6.13 से 4.6.13 | 31 घण्टे @ 815 | 25265 |
| | **योग (–) टैक्स** | **40750** |

**(ख) मै0 दीप सैनी, संविदाकार**

| | | |
|---|---|---|
| 5.9.13 से 30.11.13 | 57 घण्टे @ 1100 | 62700 |

उपरोक्त कार्य हेतु निम्न अनियमितताएं पाई गई जिसके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस कार्य हेतु किसी तकनीकी अधिकारी से प्राकलन तैयार नहीं किया गया व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

2 बिल व वाउचर सम्बन्धित कनिष्ट अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से सत्यापित नहीं कराये गये।

3 दरों का औचित्य (Justification of rates) तैयार नहीं किया गया जैसा उपरोक्त "क" में जे0सी0वी0 कार्य ₹815 प्रति घण्टा कराया गया "ख" में कार्य ₹1100 प्रति घण्टा भुगतान किया गया।

4 निविदायें मंगवाने हेतु नियमानुसार पारदर्शिता नहीं अपनाई गई

बिना किसी तकनीकी अधिकारी के सत्यापन व बिना कोई औपचारिकता पूर्ण कर भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

## 22 निष्पादित निर्माण कार्यों में अत्याधिक मात्रा का विचलनः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चलत बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्य मदों का निर्माण कार्य निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना निष्पादित किया गया जबकि कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुबन्ध में निर्धारित कार्य मात्रा से अत्याधिक मात्रा का कार्य बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये निष्पादित करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

| क्र0सं0 | कार्य का | संक्षिप्त मद | चलत | मात्रा | निष्पादित | निष्पादित | दर | कुल | विचलन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | नाम व माप पुस्तिका सं0 | | बिल | अनुबन्धत अनुसार | मात्रा चलत बिल तक | अधिक मात्रा | (₹) | मूल्य (₹) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| माह 2/12 | | | | | | | | | |
| 1 | Providing wire create for parking at lalit chowk (MB 121 P-27) | 1. recavation in foundations trenches | 2nd R/Bill | 15.84 Cum | 63.91 cum | 48.07 cum | 140 | 6730 | 303.47% |
| 2 | Repair & restoration of muck dumping site (MB 120 P-50) | 1 wire create (G.I.) filled with boulder | 2nd | 176.58 | 201.98 | 25.40 | 680 | 17272 | 14.38% |
| 3 | Prov. R.C.C. slab and approaches over nalwar Khud (MB 120 P-47) | 1 R.R.M. 1:6 | 1st | 31.53 cum | 44.17 cum | 12.64 cum | 2225 | 28124 | 40.08% |
| 4 | C/O drain at Kharini (MB 121 P-30) | 1 P/L C.C. 1:6:12 (40 MM) | 1st & final | 3.00 cum | 7.00 cum | 4.00 cum | 2099 | 8396 | 133% |
| 5 | C/O check dam of drain at Ambedkar Nagar (MB 110 P-12) | RRM 1:6 | 1st & final | 9.94 Cum | 21.13 cum | 11.19cum | 1800 | 20142 | 112.57% |
| 6 | C/O drain in ward No. | Cutting in earth work | 1st & R/Bill | 60.71cum | 124.53cum | 63.82 cum | 110 | 7020 | 105.12% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 (MB 120 P-56) | & disposal | | | | | | | |
| 7 | Repair of restoration of path from BDO office (MB 120 P-67) | Stone soling | $1^{st}$ & final | 11.85cum | 33.66 | 21.81 | 950 | 20720 | 184.05% |
| 8 | C/O suket shoping complex at Bhojpur (MB 1188 - 49) | 1 P/F steel door<br>2 20mm plaster 1:6<br>3 15mm plaster 1:6<br>4 P/F Grill | $2^{nd}$ R/Bill | 110.10 cum<br>100Smt<br>664.85Smt<br>181.50kg | 204.90<br>255.40<br>1071.17<br>1068.47 | 94.8<br>155.40<br>406.32<br>886.97 | 265<br>120<br>130<br>74 | 25122<br>18648<br>52822<br>65366 | 86.10%<br>155.40%<br>61.11%<br>488.68% |
| **माह 1/13** | | | | | | | | | |
| 9 | C/O foot path from Raja Hari Sen House (MB 129 P-58) | P/L 1:6:12 | $1^{st}$ R/Bill | 8.12cum | 12.01 | 3.89 | 2250 | 8753 | 47.91% |
| 10 | C/O platform & staking of garbage heaps (MB 129 P85) | Excavation on foundation traches | $3^{rd}$ R/Bill | 122.81cum | 200.56 | 77.75 | 180 | 13995 | 63.31% |
| 11 | Proposed record room at SD office (MB 126 P-57) | 1 P/L 1:6:12<br>2 Prov. Form work<br>3 wood work<br>4 15mm | $2^{nd}$ R/Bill | 1.60cum<br>115.65sqm<br>0.71cum<br>115.65sqm | 2.83<br>152.61<br>0.96<br>339.07 | 1.23<br>36.96<br>0.25<br>223.42<br>123.20 | 2250<br>260<br>69000<br>135 | 2767<br>9610<br>17250<br>30162 | 76.87%<br>31.96%<br>35.21%<br>193.18% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | plaster 1:3 | | | | | | | |
| 12 | C/O drain along Maloh road (MB 129-89) | 1 semi circular pipe 250mm | | 30 | 153.20 | 123.20 | 383 | 47186 | 410.67% |
| माह 9/13 | | | | | | | | | |
| 13 | C/O parking at sundernagar (MB 133 P-80) | 1 cutiing in earth work<br>2 C.C. 1:4:8<br>3 P/L 1:2:4 (Column)<br>3 PL 1:2:4 (Column) | 5th R/Bill | 789.78<br>38.65cum<br>13.14 cum | 1130.27<br>66.29<br>42.47 | 340.49<br>27.64<br>29.33 | 126<br>2200<br>3344.79 | 42902<br>60808<br>98103 | 43.11%<br>71.51%<br>223.21% |
| 14 | R/R of path from Rest house (MB 132 P-84) | 1 P/L 1:6:12<br>2 Precast checkered tile | 1st & final | 1.75 cum<br>69 Sqm | 4.74<br>145.31 | 2.99<br>76.31 | 2250<br>650 | 6728<br>49602 | 170.86%<br>110-59% |

**22.1 ₹22.90 लाख अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का कार्य स्वीकृति के बिना निष्पादित किया जानाः–**

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चलत बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों के चलत बिलों में ₹22.90 लाख का कार्य अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों के रूप में निष्पादन सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के ही करवाया गया। जिस का विस्तृत विवरण नीवे दियें गये है। नियमानुसार इस प्रकार के कार्य मदों का निष्पादन बिना पूर्व स्वीकृति व भुगतान दरों के अनुमोदन उपरान्त ही करवाया जाना अपेक्षित था। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए चलत बिलों में निष्पादित की गई अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों के दर विश्लेषण आवश्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाएें व अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

| क्र0सं0 | कार्य का नाम व माप पुस्तिका पृ0 | संक्षिप्त मद | कार्य मात्रा | भुगतान दर | भुगतान की गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| माह 2/12 | | | | | |
| 1 | Repair & Mentine of road/path in ward No. 13 (MB 12 DP- 62) | P/L C.C. 1:5:10 with 15% Plum | 5.95 cum | 1942 | 11555 |
| माह 1/13 | | | | | |
| 2 | C/O Foot path from raja Hari sen to chandhari house (MB 129 P-59) | Stone soling | 30.48 cum | 608 | 18532 |
| 3 | Dev. of slum area under IHSDP in ward 5 (MB 129 P-81) | 1 Laying RCC pipe 300 mm dia<br>2 P/L C:C 1:2:4 (20 mm) | 12 Nos<br>77.89 cum | 584<br>3269 | 7008<br>254622 |
| 4 | C/O Plate form staking of garbage hecps at dumping station (MB 129 P-85) | 1 P/L CC 1:3:6 (40mm)<br>2 form work<br>(a) vertical surface<br>(b) circular col.<br>© above 4 mtr.<br>(d) deam cantiler<br>(i) above 5.6mtr.<br>3 P/L C.C. 1: 1½:3 (20mm) | 15.04 cum<br>(sft)<br>40.60<br>100.49<br>30.14<br>139.48<br>156<br>16.80 cum | 2862<br>150<br>311.34<br>389.70<br>268.47<br>4027.62 | 43044<br>6090<br>31287<br>11746<br>26514<br>41881<br>67664 |
| | | | | | |
| 5 | C/O Rooms S.V.M. Sundernagar (MB 129 P-72) | Steel work welded in section | 170 Kg | 70.88 | 12050 |
| 6 | Repair of restoration of drain from Maloh road to Haripur (Mb 128 P-50) | Laying R.C.c. pipe 150 mm<br>2 laying RCC pipe 2500 mm<br>3 steel work | 112.30 RMT.<br>22 RMT<br>159.88Kg | 220<br>659.59<br>87.91 | 24760<br>14509<br>14055 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | welded in | | | |
| 7 | Dev. of slum area under IHSDP ward No. 4 (MB 128 P-58) | 1 P.L. CC 1:2:4 (20mm) | 150.99 | 3269 | 493586 |
| 8 | C/O drian maloh road to wards bari (MB 129 P-59) | laying RCC semi circular pipe 250 mm | 153.20 RMT | 383 | 58676 |
| **माह 9/13** | | | | | |
| 9 | C/O check Dam at rasmai (MB 132 P-54) | I RRM 1:6<br>2 P/L R.C. pipe 900mm | 5.38cum<br>7.50 | 2426<br>2157 | 13052<br>16177 |
| 10 | C/O Parking at Sundernagan (MB 133 P-80) | 1 Prov. & laying CC 1:2:4 (20mm)<br>(a) foundation/footing<br>(b) column<br>(c) suspender floor roof<br>2 P/L 1:1½:3 | Cum<br>114.94<br>42.47<br>103.10<br>86.88 | 3024.79<br>3344.79<br>3194.79<br>3501.99 | 347669<br>142053<br>329383<br>304253 |
| | | | | **कुल योग** | **2290112** |

## 23 नगर परिषद के वाहनों की लॉग बुकों में किलोमीटर प्रविष्टि गलत गणना दर्ज करने बारेः–

नगर परिषद सुन्दरनगर के विभिन्न वाहनों की अवधि 4/2011 से 3/2014 तक की लॉग बुक की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया है कि वाहनों की लॉग बुक भरते समय किलोमीटर की गणना उचित प्रकार से दर्ज नहीं की जाती जिस कारण वाहनों की माईलेज की गणना की जाँच नियमानुसार नहीं की जा सकी। वाहनों की लॉग बुक में पाई गई त्रुटियों का ब्यौरा **परिशिष्ट (xiv)** में दिया गया है। अतः इन त्रुटियों की लॉग बुक में अब दूर किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 24 अस्थाई अग्रिमः–

लेखा परीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा समय समय पर अस्थाई अग्रिमों का भुगतान किया गया है लेकिन उनकी प्रविष्टि अस्थाई अग्रिम रजिस्टर में नहीं की जाती जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि परिषद द्वारा कितनी राशि अग्रिम स्वरूप किन व्यक्तियों को दी गई है व समायोजन हेतु कितनी राशि शेष है। अतः अग्रिम राशि के भुगतान व समायोजन से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अब तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

## 25 नगर परिषद सुन्दरनगर के स्टॉक में पड़े सामान का उचित रख रखाव न करने बारेः–

जाँच के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा क्रय किये गये सामान की विभिन्न मदों भोग्य (consumable) एवं अभोग्य (Non-consumable) की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर की गई है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा सामान की प्रविष्टियाँ मदवार न करके तिथिवार की गई है जोकि अनियमित है। उक्त अनियमितता के कारण यह पुष्टि नहीं कि जा सकी कि निश्चित तिथि को स्टॉक रजिस्टर में प्रत्येंक मद की कितनी मात्रा उपलब्ध है। नियमानुसार प्रत्येक मद के लिये अलग–2 खाता खोला जाना तथा अलग–2 पृष्ठ पर प्रविष्टि करके उन मदों का अन्त शेष निकाला जाना अपेक्षित है। अतः स्टॉक लेखा भोग्य (Consumable) एवं अभोग्य (non-consumable) का अलग–2 अनुरक्षण न करने व खातों का मदवार अन्तशेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट करें व स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण अब नियमानुसार किया जाए व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए।

### स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद में स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) नहीं की है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15. 17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से यथासम्भव इस विभाग को अवगत करवाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओ ंका प्रत्यक्ष सत्यापना करवाना सुनिश्चित की जाये।

26 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

27 **निष्कर्ष :–** लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

पृष्ठांकन संख्याः V(46)2011–फिन(एल0ए0)खण्ड–5–5661–5662 दिनांक, 15.09.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश।

**पंजीकृत :–** (2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करें।

(3) वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला–171003

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

## परिशिष्ट "i"

**नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की स्थिति**

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/89**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(i) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 7(ii) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 7(iii) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 13(ए)(i) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 13(ए)(ii) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 13(ए)(iii) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 13(बी)(i) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 13(बी)(ii) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 13(बी)(iii) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 13(ई)(ii) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | पैरा 13(एफ) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 14(ए) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 14(बी) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 14(सी) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 14(डी) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 14(एफ) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 14(जी) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 14(एच) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 24 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 27 | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/90**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 6(बी) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 7(i) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 7(ii) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 7(iii) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | पैरा 7(iv) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 10(i) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 10(iii) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 10(iv) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 10(v) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 10(viii)(ए) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 10(viii)(बी) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 10(x) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 10(xii) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 10(xii)(2) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 10(xiii)(3) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 10(xiv) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 10(xv) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 10(xvi) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 10(xvii) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 10(xx) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 10(xxi) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 10(xxii) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 11(i) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 11(iii) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 11(iv) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 11(v) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 11(vi) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | पैरा 11(vii) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 11(viii) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 12(i) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 12(ii) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 12(iv) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 12(xiii) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 12(xv) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 12(xvi)(2) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 12(xvi)(3) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 12(xvi)(4) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 12(xviii) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 16(i) | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/91 तक**

अवधि 04/90 से 03/91 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/92 तक**

अवधि 04/91 से 03/92 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/93**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 10(क) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 12(ख) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 12(घ) | अनिर्णीत | (₹10,000/- adv. Sh. Jagdish Gupta Retd. E.O.) |
| 5 | पैरा 13(च) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | पैरा 13(छ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 13(ज) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13(झ) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 13(ञ) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 14(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 14(ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 14(ग)(i) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 14(ग)(ii) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 14(ग)(iii) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 14(ग)(iv) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 14(ग)(v) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 14(घ) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 14(ङ) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 19 | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/93 से 03/96**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 11(ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 15(i)(क) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 15(ख) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 15(2)(i) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 15(2)(ii) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 15(4)(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 15(ग) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 15(6) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 15(ii) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 15(12)(i) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 15(13) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 15(16) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 15(17) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 15(20) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 15(21) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 15(22) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 15(25) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 21(i) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | पैरा 21(ii) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 21(iii) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 21(iv) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 21(v) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 21(vi) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 21(vii) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 21(viii) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 21(x) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 21(xi) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 21(xii) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 21(xiii) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 21(xiv) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 21(xv) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 21(xvi) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 22 | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/2002**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 13(क) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 13(ख)(3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 15(क) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | पैरा 15(ख) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 20(क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 20(ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 21(क) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 21(ग) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 22(क) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 27(क) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 27(ख) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 27(ग) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 27(घ) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 28(2)(क) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 28(2)(ख) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 28(6) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 28(9) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 28(15) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 28(17) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 28(19) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 28(21) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 29 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 30(1) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 30(2) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 30(10) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 32 | पैरा 30(12) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 30(13) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 30(ए) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 30(ए)(3) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 31 | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 35(2) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 35(10) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 35(11)(क) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 35(11)(ख) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 35(11)(ग) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 35(11)(घ) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 35(11)(ङ) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 35(12)(क) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 35(12)(ख) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 35(13)(क) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 35(13)(ख) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 35(13)(ग) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 35(13)(घ) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 35(14) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा 35(15) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 35(16) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा 35(17) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा 35(18) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा 35(19) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 56 | पैरा 35(20) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा 35(21) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा 35(22) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा 36(2) | अनिर्णीत |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 4(ii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 2 | पैरा 4(iii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 3 | पैरा 4(iv) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 4 | पैरा 4(v) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 5 | पैरा 4(vi) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 6 | पैरा 4(ix) | निर्णीत | (सिनेमा बहुत वर्ष पहले बंद हो चुका था) |
| 7 | पैरा 4(x) | निर्णीत | (परिषद में कोई कुत्ता पंजीकृत नहीं है) |
| 8 | पैरा 4(xii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 9 | पैरा 4(xiii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 10 | पैरा 4(xv)(क) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 4(xv)(ख) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 5(i) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 13 | पैरा 5(ii) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 5(iii) | निर्णीत | (ये कर्मचारी अंकेक्षण से 8–10 वर्ष पूर्व नियुक्त थे) |
| 15 | पैरा 5(iv) | निर्णीत | (ठेकेदार के कर्मचारी सरकार की Policy अनुसार) |
| 16 | पैरा 6(i) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 17 | पैरा 6(ii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 18 | पैरा 6(vi) | निर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | पैरा 6(viii) | निर्णीत | (यह व्यय मीटिंग में किया गया) |
| 20 | पैरा 6(ix) | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 6(x) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 22 | पैरा 6(xi) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 6(xii) | निर्णीत | (Casual labor for rainy season) |
| 24 | पैरा 6(xiii) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 6(xv) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 26 | पैरा 6(xvi) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 27 | पैरा 6(xvii) | निर्णीत | (उत्तर व पावती जाँचने के बाद) |
| 28 | पैरा 6(xx) | निर्णीत | (उत्तर व पावती जाँचने के बाद) |
| 29 | पैरा 6(xxi) | निर्णीत | (उत्तर व पावती जाँचने के बाद) |
| 30 | पैरा 6(xxii) | निर्णीत | (उत्तर व पावती जाँचने के बाद) |
| 31 | पैरा 6(xxiii) | निर्णीत | (परिषद के पुस्तकालय चल रहे है) |
| 32 | पैरा 6(xxiv) | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 6(xxv) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 34 | पैरा 6(xxvi) | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा 6(xxvii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 36 | पैरा 6(xxix) | अनिर्णीत | |
| 37 | पैरा 6(xxx) | निर्णीत | (सिलाई मशीने BPL परिवारों को SJSRY अनुदान के दिशा निर्देशानुसार वितरित किया था) |
| 38 | पैरा 6(xxxi) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 39 | पैरा 6(xxxii) | निर्णीत | (परिषद का ट्रैक्टर खराब होने के कारण ट्रैक्टर Hire किया गया था) |
| 40 | पैरा 6(xxxv) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | पैरा 6(xxxvi) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 42 | पैरा 6(xxxvii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 43 | पैरा 6(xxxviii) | निर्णीत | (उत्तर व अभिलेख जाँचने के बाद) |
| 44 | पैरा 6(xxxix) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 7(i to xii) | अनिर्णीत | |
| 46 | पैरा 8(i to iv) | अनिर्णीत | |
| 47 | पैरा 9(i) | आंशिक निर्णीत | |

**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क ₹74400 बैंक ड्राफ्ट संख्या 220652 दिनाँक 18.7.11 द्वारा जमा की गई है) |
| 2 | पैरा 4.1 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई) |
| 3 | पैरा 4.3 | निर्णीत | |
| 4 | पैरा 5 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 6 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई) |
| 6 | पैरा 6.1 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई) |
| 7 | पैरा 6.2 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 6.3 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 6.4 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 7.1 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 7.2 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई) |
| 12 | पैरा 8 | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | पैरा 8.1 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 10 | अंशतः निर्णीत | (क्रम संख्या 1 से 3, 6, 8 से 19, 21, 23, 25 से 72 निर्णीत क्रम संख्या 4, 7, 20, 22 व 24 अनिर्णीत) |
| 16 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 11.1 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 12 | निर्णीत | |
| 19 | पैरा 13 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 16 (i) व (ii) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 17 (1, 2, 3) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |